

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 700358 / 16

संस्थापन दिनांक : 27.06.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड
म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—वीरेन्द्रसिंह पुत्र दातारामसिंह गुर्जर उम्र 50 वर्ष
 - 2—संजूसिंह पुत्र वीरेन्द्रसिंह गुर्जर उम्र 25 वर्ष
 - 3—कपूरसिंह उर्फ मोहरसिंह पुत्र दातारामसिंह गुर्जर उम्र 42 वर्ष
 - 4—बलवीरसिंह पुत्र हाकिमसिंह गुर्जर उम्र 30 साल
- निवासीगण ग्राम गुरीखा थाना मालनपुर जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 294, 323/34, 451, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स.के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 30.05.16 को 18:00 बजे फरियादी रामअख्यारसिंह अ0सा01 के घर का दरवाजा ग्राम गुरीखा थाना मालनपुर पर रामअख्यार अ0सा01 की कुल्हाड़ी से सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामअख्यारसिंह अ0सा01 के छोटे बेटे अन्नू का डण्डा संजू के बच्चे ने छुड़ा लिया था जिसके बारे में उसने संजू के पिता वीरेन्द्र से कहा था। दिनांक 30.05.16 को समय शाम करीब 6 बजे फरियादी रामअख्यारसिंह अ0सा01 जब अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था तो इसी बात को लेकर वीरेन्द्रसिंह उसके दरवाजे पर आया और उसे अश्लील

गालियां देने लगे जो सुनने में बुरी लगीं। जब उसने गाली देने से मना किया तो वीरेन्द्रसिंह ने कुल्हाड़ी मारी जो उसके सिर में बांयी ओर लगी तथा चोट होकर खून निकला तथा संजू ने लाठी मारी जो उसके बांये हाथ की कोहनी के पास लगी जिससे चोट होकर खून निकला तथा कपूरसिंह ने डण्डा मारा जो उसके बांये पैर की पिंडरी में लगा जिससे चोट होकर खून निकला जब उसका भाई जण्डेलसिंह अ0सा02 बचाने आया तो बलवीरसिंह ने जण्डेलसिंह अ0सा02 को लाठी मारी जो सिर में बायीं तरफ लगी जिससे चोट होकर खून निकला मौके पर लायकसिंह व रामनिवास आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया तथा जाते समय आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो बच गया है आइन्दा जान से खतम कर देंगे। तत्पश्चात फरियादी रामअख्त्यार अ0सा01 ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध अप0क0 80/16 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 30.05.16 को 18:00 बजे फरियादी रामअख्त्यारसिंह अ0सा01 के घर का दरवाजा ग्राम गुरीखा थाना मालनपुर पर रामअख्त्यार अ0सा01 की कुल्हाड़ी से सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. रामअख्त्यारसिंह अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 30.05.16 को उसका आरोपीगण से बच्चों की बात पर से मुंहवाद हो गया था। वादविवाद में उसे व जण्डेलसिंह को चोटें आई थी तब उसने घटना की रिपोर्ट प्र0पी-1 लिखवाई थी परन्तु रिपोर्ट प्र0पी-1 की अर्न्तवस्तु से इस साक्षी ने इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि वीरेन्द्र ने उसे कुल्हाड़ी मारी और संजू ने उसे लाठी मारी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि जण्डेल की धारदार हथियार से मारपीट की गयी थी। अतः बलवीर ने जण्डेल को लाठी मारी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दफ़्तर प्र0पी-2 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. आहत जण्डेल अ0सा02 ने भी कथन किया है कि दिनांक 30.05.16 को उसका आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था जो बच्चों की वादविवाद पर हो गया था और झूमाझटकी में उसे व रामअख्त्यार अ0सा01 को चोटें आई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि वीरेन्द्र ने रामअख्त्यार को कुल्हाड़ी मारी और संजू ने उसे लाठी मारी और इस सुझाव से भी इंकार किया कि वह बचाने गया तो बलवीर ने उसे लाठी मारी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने

पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

7. अतः आहत साक्षीगण रामअख्त्यार अ0सा01 व जण्डेल अ0सा02 ने भी विचारणीय प्रश्न पर अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। उक्त दोनों प्रत्यक्ष साक्षीगण ने स्वयं को आई चोटें किसी धारदार वस्तु से पहुंचाये जाने से इंकार किया है। अतः आहत साक्षीगण द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 30.05.16 को 18:00 बजे फरियादी रामअख्त्यारसिंह अ0सा01 के घर का दरवाजा ग्राम गुरीखा थाना मालनपुर पर रामअख्त्यार अ0सा01 की कुल्हाड़ी से सह अभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपीगण के मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
10. प्रकरण में जप्त कुल्हाड़ी, लाठी, व डण्डा अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)